

कार्यालय जिला पंचायत, राजनांदगांव (छ.ग.)

आदेश

राजनांदगांव दिनांक 16/02/2018

क्रमांक/ 16453 /जिपं/शि.क.भ.-1/स्थापना/2018

छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय रायपुर के पत्र क्रमांक/ पंचा-192/पं.प्रा.वि.वि/2012/1167 रायपुर दिनांक 21/08/2012 निर्देशानुसार तथा संचालक, पंचायत संचालनालय, छ.ग. नया रायपुर के पत्र क्रमांक/पंचा./शिक्षा/2017/276 नया रायपुर दिनांक- 14.07.2017 तथा क्रमांक/पंचा./शिक्षा/2017/237 नया रायपुर दिनांक- 20.07.2017 के अनुसार एवं छत्तीसगढ़ शिक्षक (पंचायत) संवर्ग (भर्ती तथा सेवा की शर्तों) नियम 2012 तथा यथासंशोधित नियमों में उल्लेखित निर्देशों के तहत छत्तीसगढ़ व्यवसायिक परीक्षा मंडल, रायपुर द्वारा जारी प्रावीण्यता सूची के आधार पर विज्ञापित पदों पर जिला पंचायत की सामान्य प्रशासन समिति की बैठक दिनांक 22/11/2017 में चयन सूची के अनुमोदन पश्चात् छ.ग.शासन स्कूल शिक्षा विभाग राजनांदगांव (जिला शिक्षा अधिकारी, राजनांदगांव) से प्राप्त रिक्त पदों के विरुद्ध नियुक्त व्याख्याता (पंचायत) के द्वारा निर्धारित तिथि तक कार्यभार ग्रहण नहीं किये जाने के कारण विषयवार रिक्त पद पर प्रतीक्षा सूची से व्याख्याता (पंचायत) के पद पर चयनित अभ्यर्थियों को वेतनमान रु. 5300-150-8300 प्रति माह एवं शासन द्वारा निर्धारित मंहगाई भत्ते एवं समय-समय पर जारी अन्य भत्ते पर आगामी आदेश पर्यन्त उनके नाम के सम्मुख दर्शायी गई शाला में निम्नांकित शर्तों के अधीन अस्थायी रूप से पदांकित किया जाता है:-

क्रमांक	पंजीयन क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	पत्र व्यवहार का पता	निशक्त /भूपूसै	आरक्षण वर्ग	पदस्थापना हेतु प्रस्तावित शाला का नाम	विकासखंड	विषय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	PRL171003943399	PRACHI SHARMA	G SHARMA	QR NO 18/A STREET NO 6 SECTOR 2, BHILAI, SECTOR 1, CHHATTISGARH, Dist.-Durg, Pincode-490001		UR	हाईस्कूल सरईपतेरा	छुईखदान	ENGLISH
2	PRL172004017816	GIRISH KUMAR	MAHRA RAM	WARD NO15 RAM NAGAR, DONDI LOHARA, DONDILOHARA, CHHATTISGARH, Dist.-Balod, Pincode-491771		ST	हाईस्कूल पाटनखास	मोहला	MATHEMATICS
3	PRL174003967159	VINAY KUMAR SHARMA	VISHNU PRASAD SHARMA	MD/267 DIPKA COLONY DIPKA COLONY, KORBA, GEVRA PROJECT, CHHATTISGARH, Dist.-Korba, Pincode-495452		UR	उ.मा.शाला मानपुर	मानपुर	CHEMISTRY
4	PRL174003939376	ANJANA SINGH	RAJENDRA SINGH KACHHAWAHA	d/o R S kachhawaha, narmada nagar,back to bachapan play school, Bilaspur, Bilaspur, CHHATTISGARH, Dist.-Bilaspur, Pincode-495001		UR	कन्या उ.मा.शाला मोहला	मोहला	CHEMISTRY
5	PRL175003978664	BHANUJA PATEL	KRISHNA GOPAL NIRANJAN	9C, TYPE 4D PANDERDALLI, DALLI RAJHARA, DALLI RAJHARA, CHHATTISGARH, Dist.-Balod, Pincode-491228		UR	हाईस्कूल संडी	छुईखदान	BIOLOGY
6	PRL176004030217	HEMANT KUMAR	HARNARAYAN TIWARI	VIJAY CHOWK, CHANGORABHATHA, SUNDER NAGAR, CHHATTISGARH, Dist.-Raipur, Pincode-492013		UR	उ.मा.शाला कोहका	डोंगरगांव	COMMERCE

शर्तें:-

- प्रमाणित किया जाता है कि छत्तीसगढ़ शिक्षक (पंचायत) संवर्ग (भर्ती तथा सेवा शर्तों) नियम 2012 में निर्दिष्ट प्रावधान के तहत आरक्षण रोस्टर का निर्धारण किया गया एवं छ.ग. लोक सेवा (अनुजाति, अनु. जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग) के लिये आरक्षण अधिनियम 1994 के अंतर्गत विहित निर्देशों का समुचित रूप से पालन किया गया है।
- चयनित व्याख्याता (पंचायत) को कार्यभार ग्रहण के समय (पदस्थ शाला में कार्यभार ग्रहण के समय) जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त चिकित्सा फिटनेस प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
- कार्यभार ग्रहण के पूर्व व्याख्याता (पंचायत) को समस्त मूल प्रमाण पत्रों का सत्यापन कराना होगा। सत्यापन में प्रमाण पत्र में त्रुटि पाई जाती है तो नियुक्ति निरस्त माना जावेगा।
- चयनित व्याख्याता (पंचायत) को आदेश जारी होने के (दस दिवस) के भीतर दिनांक 16.02.2018 तक अनिवार्य रूप से कार्यालय जिला पंचायत राजनांदगांव में कार्यभार ग्रहण करना होगा। निर्धारित अवधि के भीतर कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
- यह नियुक्ति अस्थायी है। नियुक्ति पदांकन शाला में 2 वर्ष के लिए परीवीक्षा अवधि पर की गई है जिसे आवश्यकतानुसार 5 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। परीवीक्षा अवधि में पदांकित शाला में परिवर्तन किसी भी दशा में नहीं किया जावेगा। उनके परीवीक्षा अवधि में प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर उनके कार्यों का आंकलन किया जावेगा। कार्य संतोषजनक न पाये जाने की स्थिति में सेवाएँ समाप्त कर दी जावेगी।
- परीवीक्षा अवधि में वेतनमान के न्यूनतम के बराबर नियत वेतनमान तथा उस पर राज्य शासन द्वारा स्वीकार्य मंहगाई भत्ता प्रदान किया जावेगा।
- व्याख्याता (पंचायत) द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी को या नियुक्त प्राधिकारी द्वारा व्याख्याता (पंचायत) को लिखित में एक माह की सूचना देकर या एक माह का वेतन एवं भत्ते का भुगतान करने पर किसी भी समय सेवा समाप्त की जा सकेगी।
- पुलिस सत्यापन में दोषी पाये जाने पर सेवाएँ समाप्त कर दी जावेगी।
- आरक्षित वर्ग के चयनित व्याख्याता (पंचायत) अस्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये हैं उन्हें जारी दिनांक से 06 माह के भीतर स्थायी जाति प्रमाण पत्र सत्यापन कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

- 10 नियुक्त व्याख्याता (पंचायत) बी.एड. उपाधिधारी नहीं है उन्हें तीन वर्ष के अन्दर बी.एड. पाठ्यक्रम में उपाधि प्राप्त करनी होगी।
- 11 नियुक्त व्याख्याता (पंचायत) के प्रमाण पत्रों अथवा अंक सूची, जाति प्रमाण पत्र, निःशक्तता प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, रोजगार पंजीयन, बी.एड., बच्चे एवं विवाह संबंधी घोषणा पत्र आदि किसी भी प्रमाण पत्र में प्रस्तुत शपथ पत्र के विपरित यदि कोई जानकारी/प्रमाण पत्र असत्य या फर्जी प्रमाणित होती है तो न केवल उक्त व्याख्याता (पंचायत) की सेवा समाप्त की जा सकेगी अपितु संबंधित के विरुद्ध अपराधिक प्रकरण भी पंजीबद्ध कराया जा सकेगा।



मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत, राजनांदगांव (छ.ग.)

राजनांदगांव दिनांक 16/02/2018

पृ. क्रमांक/16454/जिपं/शि.क.भ.-1/स्थापना/2018

प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय, छ.ग. शासन, रायपुर ।
2. संचालक, लोक शिक्षण, छ.ग. रायपुर ।
3. आयुक्त, पंचायत, छत्तीसगढ़ संचालनालय रायपुर।
4. आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, छ.ग. रायपुर ।
5. मिशन संचालक, राजीव गांधी शिक्षा मिशन, छ.ग. रायपुर ।
6. आयुक्त, रायपुर संभाग, रायपुर ।
7. कलेक्टर/कलेक्टर एवं जिला मिशन संचालक, राजीव गांधी शिक्षा मिशन, जिला राजनांदगांव.
8. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला राजनांदगांव
9. निज सहायक, माननीय अध्यक्ष, जिला पंचायत राजनांदगांव ।
10. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, विकासखण्ड _____ जिला राजनांदगांव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। अपने विकासखण्ड में नियुक्त व्याख्याता (पंचायत) की कार्यभार ग्रहण प्रतिवेदन दिनांक 28/02/2018 तक इस कार्यालय को भेजें।
11. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
12. प्राचार्य/प्रधान पाठक उ.मा.शाला/हाईस्कूल/माध्य.शाला विकासखण्ड को सूचनार्थ। संबंधित व्याख्याता (पंचायत) के नियत समयावधि में कार्यभार ग्रहण की सूचना इस कार्यालय को तत्काल भेजें ।
13. संबंधित श्री/श्रीमति/कु.को सूचनार्थ एवं पालनार्थ। निर्देशित किया जाता है कि कार्यभार ग्रहण करने की सूचना स्वयं अथवा विहित माध्यम से अनिवार्य रूप से इस कार्यालय में भिजवायें।



मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत, राजनांदगांव (छ.ग.)